"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2005—कार्तिक 13, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-1-17/2005/एक/2.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से. (1972) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग एवं कृषि उत्पादन आयुक्त को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है. वे अपने कार्य के साथ-साथ कृषि उत्पादन आयुक्त का कार्य भी संपादित करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. श्री व्ही. के. कपूर, भा. प्र. से. (1972) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए महानिदेशक, प्रशासन अकादमी के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

3. श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से. (1973) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, खनिज साधन, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज निगम तथा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम खनिज साधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज निगम तथा अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

4. श्री बी. के. एस. रे एवं श्री शिवराज सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-1954 के नियम 9 (1) के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 3(ए) में सम्मिलित मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री व्ही. के. कपूर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-1954 के नियम 9 (1) के अंतर्गत महानिदेशक, प्रशासन अकादमी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 3(ए) में सम्मिलित मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6.—राज्य शासन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 द्वारा गठित "छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग" के लिए निम्नानुसार राजपत्रित अधिकारियों के पदों का निर्माण किया जाता है :—

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	1	30000/-
2.	सूचना आयुक्त	1	26000/-
3.	सचिव	1	18400-22400

2. इस हेतु वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 1209/बजट-5/वित्त/4 दिनांक 14-10-2005 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-7/36/2004/1/2.—श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. तत्का. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 16-8-2005 से 9-9-2005 तक (25 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11-9-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री साहू, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक/1130/पं./22.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 65 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत (स्थावर सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 4 में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" स्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक पग्राविवि/2005/1129.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th October 2005

No./1130/P/22.—In exercise of the power conferred by the sub-section (1) of section 95 read with sub-section (2) of section 65 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Panchayat (Transfer of immovable property) rules, 1994 the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section 95 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In rule 4 in place of the words "three years" the words "five years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY GARG, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक/1132/पं./22.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 46 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थाई समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) में शब्द "भूमि विकास तथा संरक्षण, राजस्व, बीस सूत्रीय कार्यक्रम" का लोप किया जाए.

2. नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ख) में शब्द "वन", "डेयरी", "कृषि तथा जल संसाधन" का लोप किया जाए.

3. नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) में शब्द "मत्स्यपालन" तथा "श्रम" का लोप किया जाए.

4. नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए :—

"(घ) कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन समिति-ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि, भूमि विकास तथा संरक्षण, उन्नत बीज, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्यपालन, लघु सिंचाई तथा श्रम.

(ङ) राजस्व तथा वन समिति-ग्राम पंचायत क्षेत्र में राजस्व, बीस सूत्रीय कार्यक्रम. वन, सामाजिक वानिकी, उद्यान, लघु वनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रम."

5. नियम 3 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु कोई समिति अधिक से अधिक दो ऐसे व्यक्ति को सहयोजित कर सकेगी जिन्हें उस समिति को सौंपे गये विषयों का अनुभव या विशेष ज्ञान हो. इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को समिति की कार्यवाहियों में मत देने का अधिकार नहीं होगा.

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत जब और जैसे भी आवश्यक हो, बैठक में शासकीय अधिकारियों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों को सलाह लेने के लिये आमंत्रित कर सकेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक पग्राविवि/2005/1131.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th October 2005

No./1132/P/22.—In exercise of the power conferred by the sub-section (1) of section 95 read with sub-section (3) of section 46 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Term of office of members of standing committee and procedure for the conduct of Business) rules, 1994, the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section 95 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In clause (a) of sub rule (1) of rule 3 the words "Land development and protection", "Revenue", "20 point programme" shall be omitted.

2. In clause (b) of sub rule (1) of rule 3 the words "Forest", "Dairy", "Agriculture" and "Irrigation" shall be omitted.

3. In clause (c) of sub rule (1) of rule 3 the words "Fishery" and "Labour" shall be omitted.

4. After clause (c) of sub rule (1) of rule 3 the following clauses (d) and (e) shall be inserted—

   "(d) The committee on Agriculture, Animal husbandry and Fishery- Agriculture, Land development and conservation, Improved seeds, Horticulture, Dairy, Animal husbandry, Fishery, Small irrigation and Labour in gram panchayat area.

   (e) The committee on Revenue and Forest-Revenue, 20 point programme, Forest, Social forestry, Horticulture, Development of small forest produce and other forestation programme."

5. After sub rule (2) of rule 3 the following proviso shall be inserted :—

   "Provided that any committee may co-opt not more than two persons having subject experts or subject knowledge. Such co-opted persons shall not have nothing right during the proceedings.

   Provided further that the Gram Panchayat may summon Government officers and subject experts in the meeting to get advise as and when required."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
SANJAY GARG, Joint Secretary.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक 7699/एफ 1-28/05/स्था-1.—छत्तीसगढ़ अभियांत्रिकीय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1969 के नियम 15 (5) के अनुसार "कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए कार्यपालन अभियंता के पद पर सेवा अवधि कम से कम 5 वर्ष का प्रावधान है."

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यपालन अभियंता की न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अर्हता की शर्त को सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये शिथिल करते हुए यह सेवा अवधि 3 वर्ष 9 माह करता है.

यह शिथिलीकरण वर्ष 2005 में होने वाली डी. पी. सी. के लिये, केवल एक बार के लिए प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8163 /डी-2419/21-ब/छ.ग./05.— राज्य शासन द्वारा छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 602/11-2-16/01/गोपनीय/05, दिनांक 4-10-05 के अनुपालन में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में अध्यक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु सारणी में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, रायपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है:—

क्रमांक	न्यायिक अधि. का नाम एवं पदनाम	अनुशंसित प्रतिनियुक्ति स्थान
1.	श्री राजेन्द्र चंद सिंह सामन्त, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव.	रायपुर
2.	श्री दिनेश कुमार तिवारी, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (जिला स्था.) छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-5-43/दो/आठ-परि/2005.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 14 की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(एक) नियम 11 के उप नियम (2) में शब्द ''दस रुपये'' के स्थान पर ''रुपये पांच सौ'' स्थापित किए जाएं.

(दो) नियम 12 के उप नियम (2) में शब्द ''दस रुपये'' के स्थान पर ''रुपये पांच सौ'' स्थापित किए जाएं.

No. F-5-43/Two/Eight-Trans/2005.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Chhattisgarh Motoryan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Motoryan Karadhan Niyam 1991, namely:—

AMENDMENT

In the said rules :—

(1) In sub rule (2) of rule 11, place of words "Rupees Ten" the word "Rupees Five hundred" shall be substituted.

(2) In sub rule (2) of rule 12 in place of words "Rupees Ten" the word " Rupees Five hundred" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक [illegible] 2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा भिलाई [illegible] सप्लाई कम्पनी प्रा. लि. भिलाई (एन. टी. पी. सी. व सेल का संयुक्त [illegible]) के बायलर क्रमांक एम. पी./3520 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 14-10-2005 से दिनांक 13-12-2005 तक

की छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बालयर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रख जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण-शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-18/दो/गृह/05.—गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "पुलिस शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री राहुल शर्मा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री ओम प्रकाश पाल	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक/3380/बी-8/11/2005-06/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्र. 13011/15/99/क्रेडिट-II, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा ''राज्य स्तरीय उप समिति'' की बैठक दिनांक 22-9-2005 में की गई अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2005-06 मौसम के लिए संलग्न अनुसूची के अनुसार तहसीलों को उनके सम्मुख दर्शाई गई रबी फसल के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत रबी मौसम 2005-06 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्रमांक (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	परिभाषित तहसीलें (4)
1.	गेहूं सिंचित	रायपुर	1. रायपुर 2. तिल्दा 3. भाटापारा 4. आरंग 5. सिमगा 6. पलारी
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
		धमतरी	1. कुरूद
		दुर्ग	1. दुर्ग 2. पाटन 3. धमधा 4. बेमेतरा 5. बेरला 6. साजा 7. गुण्डरदेही 8. नवागढ़
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. पण्डरिया 2. कवर्धा
		बस्तर	1. जगदलपुर
		बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. कोटा 3. बिल्हा 4. मस्तुरी

(1)	(2)	(3)	(4)
			5. तखतपुर
			6. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			7. मुंगेली
		जांजगीर-चांपा	1. मालखरौदा
			2. जांजगीर
		रायगढ़	1. रायगढ़
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. राजपुर
			3. लुण्ड्रा
			4. सीतापुर
			5. सूरजपुर
			6. प्रतापपुर
			7. पाल
			8. वाड्रफनगर
			9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
			2. मनेन्द्रगढ़
			3. भरतपुर
		जशपुर	1. बगीचा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगांव
			3. डोंगरगढ़
2.	गेहूं असिंचित	रायपुर	1. आरंग
			2. पलारी
		धमतरी	1. कुरूद
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. धमधा
			5. बेमेतरा
			6. बेरला
			7. नवागढ़
			8. साजा
			9. बालोद

(1)	(2)	(3)	(4)
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
		कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली
			2. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			3. लोरमी
			4. तख़तपुर
		सरगुजा	1. सूरजपुर
3.	चना	रायपुर	1. रायपुर
			2. आरंग
			3. तिलदा
			4. अभनपुर
			5. सिमगा
			6. भाटापारा
			7. पलारी
		धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
			3. नगरी
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. बालोद
			4. धमधा
			5. बेमेतरा
			6. बेरला
			7. नवागढ़
			8. साजा
			9. गुरूर
			10. गुण्डरदेही
			11. डौण्डीलोहारा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
			2. डोंगरगढ़
			3. छुईखदान
			4. खैरागढ़
			5. डोंगरगांव
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. तखतपुर
			2. मुंगेली
			3. लोरमी
			4. पेण्ड्रारोड (मरवाही सहित)
			5. कोटा
		जशपुर नगर	1. पत्थलगांव
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सूरजपुर
4.	अलसी	धमतरी	1. कुरूद
			2. धमतरी
			3. नगरी
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
		दुर्ग	1. गुरूर
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. धमधा
			5. बेमेतरा
			6. बेरला
			7. नवागढ़
			8. डौण्डीलोहारा
			9. साजा
			10. बालोद
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. छुईखदान
			4. खैरागढ़
			5. डोंगरगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
			6. मोहला
			7. अंबागढ़ चौकी
		कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली
			2. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील शामिल)
			3. कोटा
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
			2. चांपा
		कोरबा	1. करतला
		जशपुर नगर	1. पत्थलगांव
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सीतापुर
			3. राजपुर
			4. सूरजपुर
			5. प्रतापपुर
			6. पाल (रामानुजगंज)
			7. वाड्रफनगर
			8. लुण्ड्रा
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
5.	राई सरसों	धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोण्डागांव
			3. नारायणपुर
		कांकेर	1. अंतागढ़
		दन्तेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
		विलासपुर	1. पेण्ड्रारोड (मरवाहीं तहसील शामिल) 2. कोटा
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
		कोरबा	1. कटघोरा
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
		जशपुर नगर	1. जशपुर 2. बगीचा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. राजपुर 3. लुण्ड्रा 4. सीतापुर 5. सूरजपुर 6. प्रतापपुर 7. पाल 8. वाड्रफनगर 9. सामरी
		कोरिया	1. सोनहत 2. मनेन्द्रगढ़ 3. भरतपुर 4. बैकुण्ठपुर
6.	आलू	सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. सीतापुर 3. सूरजपुर 4. पाल
		जशपुर	1. बगीचा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा./भू.वि.अ./प्र. क्र. 40-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	किरना प. ह. नं. 10	3.711	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	किरना वितरक नहर के किरना माइनर नं. (2) के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा./भू.वि.अ./प्र. क्र. 41-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	ग्राम जलसो प. ह. नं. 10	0.024	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	किरना वितरक शाखा नहर के किरना माइनर नं. (2) के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बनसिंया प.ह.नं. 10	0.073	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) रायगढ़.	मिट्ठुमुड़ा, सांगीतराई, ननसिंया-बनसियां मार्ग में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 सितम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 8 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	अजिरमा	0.97	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) संभाग क्रमांक 1, अम्बिकापुर.	रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 सितम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 98 अ-82/1985-86.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	सलका	0.726	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) स. क्र.-1, अम्बिकापुर.	लटोरी चन्द्रमेढ़ा मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कोड़ेनार	0.96	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	तिरथम	3.13	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	परपा	0.46	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	डिलमिली	4.07	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	राजूर	1.68	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के वि[illegible]रीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, [illegible]दम, जिला दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	काटाकांदा	2.84	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बास्तानार	14.25	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बड़े किलेपाल	8.52	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/9/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधि[illegible] 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की [illegible] जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	रायकोट	4.53	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोड़पाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.055 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	585/1	0.079
	585/3	0.162
	631/1	0.319
	632	0.189
	635	0.793
	636/1	0.332
	636/2	0.506
	637	0.101
	638/1	0.234
	638/2	0.004
	639/6	0.008
	762	0.146
	763	0.182
योग	13	3.055

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोड़पाली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-कोनपारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.951 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	251/4	0.283
	251/10	0.668
योग	2	0.951

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है-सिंचाई विभाग द्वारा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.491 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	2.162
2/17	2.751
2/4	0.405
2/5	0.308
2/9	0.607
2/10	0.227
20	0.045
4/1	0.146
11/1	0.121
4/2	0.223
7	0.506
15/2	0.198
11/2	0.142
11/4	0.150
14/1	0.008
16	0.053
14/2	0.206
25/1	0.214
14/3	0.316
29	0.324
30	0.142
15/3	0.081
4/3	0.210
10/3	0.401
28	8.345
35	0.789
12/1	0.149
12/2	0.149
2/14	0.109
2/15	0.125
2/16	1.525
2/6	0.227
2/7	0.113
2/8	0.263
2/11	0.182
2/12	0.097
15/1	0.400
24/1	0.206
15/4	[illegible]48
15/5	0.162
15/6	0.081
24/1	0.198
15/7	0.089
15/8	0.077
15/9	0.073
18/1	0.085
18/2	0.085
21/1	0.202
21/2 क	0.279
21/2 ख	0.279
25/2	0.210
12/3	0.148
41/1	0.458
41/2	0.073
41/5	0.269
41/3	0.129
19	0.045
31/1	0.081
22	0.279
36/1	1.870
10/1	0.429
11/3	0.121
2/13	0.202
2/13	0.227
41/6	0.269
41/4	0.129
41/7	0.028
41/8	0.02[illegible]
37/2	0.854

	(1)	(2)
	37/3	0.943
	12/4	0.149
योग	71	31.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोक-ओवन, ब्लास्ट फर्नेश एवं सिन्टर प्लांट हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.549 हेक्टेयर -

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
7/3	0.032
7/1	0.138
7/4	0.032
7/6	0.129
7/5	0.032
7/7	0.064
32	0.134
34	0.162
5	0.008
31	0.077
48/1	0.053
63/3	0.384
42/1	0.656
62	1.947
52/5	0.032
33	0.154
44	0.263
48/2	0.117
63/1	0.267
63/4	0.065
63/5	0.113
65/2	0.259
23/3	0.049
10/2	0.121
10/3	0.101
19/4	0.263
21/2	0.109
46/2	0.745
64/2	0.321
14/1	0.081
65/1	0.263
13/7	0.251
3	0.348
14/2	0.146
23/1	0.413
24/3	0.089
24/1	0.142
13/6	0.121
13/8	0.138
21/4	0.512
13/1	0.193
21/1	0.463
46/1	0.372
64/1	0.161
13/2	0.025
21/2	0.304
13/9	0.247

(1)	(2)
2/1 ख	0.271
10/1	0.182
योग 49	11.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोक-ओवन, ब्लास्ट फर्नेस एवं सिंटर प्लांट हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोरखा, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-23.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
94/1	0.749
98/1	0.179
50/1	0.118
97/1	0.227
98/2	0.101
98/3	0.024
98/4	0.182
97/2	0.182
50/2	0.109
51/1	0.364
99	0.081
100	0.259
77/2	0.073
101/2	0.072
56/1	0.040
53	0.251
134/2	0.235
134/6	0.105
134/3	0.345
134/7	0.470
134/9	0.049
52	0.445
90/2	0.263
95	0.101
72/3	0.026
36	0.312
37/8	0.061
34	0.251
30	0.563
90/1	0.575
94/2	0.206
31/1	0.020
31/2	0.073
107/1	0.069
107/3	0.032
109/3	0.113
134/4	0.049
111/1	0.093
111/3	0.032
111/4	0.036
47/6	0.049
55/10	0.028
55/12	0.028
55/11	0.024
41/3	0.081
68/2	0.154
74/2	0.098
70	0.081
68/1	0.182
74/1	0.170
67/1	0.429
71	0.551

(1)	(2)
83	0.344
66/2	0.057
66/3	0.262
66/1	0.081
84	0.053
86	0.085
55/8	0.020
55/7	0.042
38/1	0.922
102	0.579
38/3	0.129
39/2	0.348
46	0.413
137	1.072
42/1	0.207
42/3	0.012
47/1	0.141
47/3	0.036
49/1	0.129
49/3	0.040
55/1	0.028
55/4	0.026
44/3	0.012
92/1	0.085
41/2	0.449
47/7	0.141
51/2	0.129
51/3	0.061
55/8	0.025
92/2	0.049
67/2	0.417
47/4	0.042
47/5	0.028
55/5	0.014
55/9	0.034
55/6	0.037
57/2	0.032
75	1.263
78/2	0.858
69/9	0.324
69/11	0.324
69/12	0.324
69/14	0.324
36/9	0.133
78/1	0.445
76	1.757
48/1	0.162
48/3	0.113
103	0.247
135	0.425
44/4	0.073
42/4	0.074
42/5	0.053
42/6	0.186
योग 106	23.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--कोक-ओवन, ब्लास्ट फर्नेस एवं सिंटर प्लांट हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.